निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 60 / 2022
दायरा दिनांकः–31.10.2022
निर्णय दिनांकः– 5.8.24

उनवान

1. शिवजी आयु 50 वर्ष पुत्र मदनलाल
2. घनश्याम आयु 48 वर्ष पुत्र मदनलाल
3. साबूलाल आयु 45 वर्ष पुत्र मदनलाल
4. भैयालाल आयु 44 वर्ष पुत्र मदनलाल
5. सम्पत बाई आयु 55 वर्ष पुत्री मदनलाल
6. सरोज आयु 54 वर्ष पुत्री मदनलाल जातियान मीणा निवासीगण ग्राम घट्टी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. क्षैत्रीय वन मंडल अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)
2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 5.8.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रार्थी
2. हेमन्त कुमार पारीक – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 36/83 की भूमि खसरा नम्बर 118/2 रकबा 15 बीघा भूमि वाके ग्राम घट्टी तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थीगण अपने पिता के समय से ही आज से 50 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा काश्त करते आ रहे है। कि उक्त विवादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण के पिता मदनलाल को एलोट हुई थी। एलोटमेन्ट के बाद हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर कब्जा संभलाया था। तब से पिता के समय से ही उक्त भूमि पर कबजा काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थी क्रम 1 वन विभाग द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि को अपनी बताकर प्रार्थीगण को कब्जा काश्त नही करने के रहे है तथा कहते है कि उक्त भूमि वन विभाग की है वन विभाग द्वारा अतिक्रमी बताकर उनके उपर जुर्माना लगा दिया वन विभाग द्वारा जुर्माना भी जमा करवाया गया। प्रार्थीगण ने अपने पिता के समय ही उक्त भूमि पर कुआ भी खुदवाया तथा एलोटमेन्ट के बाद हांक जोतकर लेवलिंग की। जिसमें प्रार्थीगण का पांच लाख रूपये के लगभग खर्च हो गया बाउंड्रीवाल भी प्रार्थीगण ने कर रखी है। प्रार्थीगण के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य भूमि आजीविका अर्जन के लिए नही है। यदि वन विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उक्त भूमि को अपनी भूमि बताता है तो प्रार्थीगण के उक्त भूमि के एवज में अन्य जगह पैमाईश कर दी जावे ताकि प्रार्थीगण आजीविका का अर्जन कर सके। प्रार्थीगण ने इस वर्ष मक्का की फसल बो रखी थी प्रार्थीगण ने आगामी फसल के लिए हांक जोतकर तैयार कर रखी थी तो दिनांक 14.10.2022 को मौके पर आकर भूमि को हांकने नहीं दिया तथा जेल में बंद करवाने की धमकी दी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम घटटी सम्वत् खाता संख्या 36 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम घटटी में स्थित है। जो प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। विवादित भूमि प्रार्थी के पिता को एलोट हुई थी एलोटमेन्ट के बाद से ही उक्त भूमि पर पिता के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी क्रम 1 वन विभाग उक्त विवादित भूमि को अपनी बता कर प्रार्थी को काश्त नही करने दे रहे है प्रार्थी को अतिक्रमी बता कर प्रार्थी के उपर जुर्माना लगा दिया। प्रार्थी ने अपने पिता के समय ही उक्त भूमि में कुआ खुदवाया तथा एलोटमेन्ट के बाद से भूमि काश्त करते चले आ रहे है अप्रार्थी को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी अपने खातेदारी की आड में वन विभाग की भूमि खसरा नम्बर 118/1, 118/6 की भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त करते है जिस स्थान पर प्रार्थी काश्त कर रहा है वह भूमि खसरा नम्बर 118/2 की भूमि नही है। प्रार्थीगण ने वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर रखा है प्रार्थीगण द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा नम्बर 118/1 व 118/6 की भूमि पर कब्जा करने पर वन विभाग द्वारा प्रार्थीगण को 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस दिया गया तथा प्रार्थी को वन विभाग द्वारा दोषी मानकर जुर्माना लगाया गया। जिसे शिवजी द्वारा वन विभाग में जमा किया गया। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 118/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 118/1 व 118/6 की भूमि पर काबिज है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम घटटी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 86 के खसरा नम्बर 118/2 रकबा 15 बीघा शिवजी, घनश्याम वगै0 के खातेदारी में दर्ज है इससे सह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण वादी/प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर किसी प्रकार की दखल अन्दाजी करने का कोई अधिकार नही है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष [illegible] अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके खातेदारी की भूमि से बेदखल कर [illegible] क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:37 IST
Reason: SelfAttested

:: [illegible] ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

विवादित आराजी वाके ग्राम घट्टी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 118/2 रकबा 15 बीघा पर प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:37 IST
Reason: SelfAttested